न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 33/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्री जिनेन्द्र गौशाला समिति सोमेसर जरिये अध्यक्ष बाबुलाल पुत्र लुम्बचन्द जाति जैन निवासी इटन्दरा मेडतियान तहसील रानी हाल मुम्बई		1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/1/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 69/2016 में नायब तहसीलदार रानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का भादरलाउ ने नायब तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम भादरलाउ के खसरा नम्बर 97 रकबा 3.2986 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से 3.2186 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 97 में से 0.18 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट को जरिये लीज आवंटन हुई है। इसी खसरा नम्बर 97 में से 1.00 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत भादरलाउ को आबादी हेतु आवंटन हुई। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.07.2008 को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर उक्त 1.00 हेक्टेयर भूमि अपीलाण्ट को आवंटन की है। जिसके एवज में अपीलाण्ट संस्थान ने ग्राम पंचायत के समक्ष राशि जमा करवाई है। अपीलाण्ट अपनी आवंटित भूमि पर ही काबिज काश्त है, किन्तु खसरा नम्बर 97 में संस्थान को लीज पर आवंटित भूमि तथा ग्राम पंचायत द्वारा संस्थान को प्रदान की गई भूमि की तरमीम नहीं होने के कारण बिना स्थिति को स्पष्ट किए एवं बिना सीमांकन किए, पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की तथा नायब तहसीलदार रानी द्वारा भी अपीलाण्ट के जवाब एवं दस्तावेजात् का परीक्षण किए बिना ही जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए आदेश बेदखली एवं जुर्माना बाबत पारित किए, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम ग्राम भादरलाउ के खसरा नम्बर 97 रकबा 3.2986 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से 3.2186 हैक्टेयर की भूमि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम ग्राम भादरलाउ के खसरा नम्बर 97 रकबा 3.2986 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से 3.2186 हैक्टेयर की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर नायब तहसीलदार रानी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया गया, उसमें यह स्पष्ट किया कि जैर अपील वादस्थ खसरा नम्बर 97 में से 0.18 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट को लीज पर आवंटन हुई है तथा इसी खसरा नम्बर में से 1.00 हेक्टेयर भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत भादरलाउ को आवंटन की गई है। इन तथ्यों की ताईद नायब तहसीलदार खिवाडा, भू0अ0नि0 सोमेसर एवं पटवारी हल्का भादरलाउ की संयुक्त मौका जांच रिपोट दिनांक 11.08.2016 से होती है, जिसमें उपरोक्त आवंटन के साथ साथ सम्पूर्ण भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होना अंकित किया है।

प्रकरण में यह विधिक बिन्दु प्रकट होता है कि क्या ग्राम पंचायत आरक्षित भूमि को अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को आवंटित करने हेतु सक्षम है ? इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि जब भूमि के हक अधिकार ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित ही नहीं हुए तो ग्राम पंचायत किसी भी रूप में आरक्षित भूमि को आवंटन अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम नहीं है। चूंकि आबादी विस्तार हेतु भूमि का आरक्षण भविष्य में बढने वाली जनसंख्या के अनुपात में वांछित भूमि को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है, किन्तु जब तक उक्त आरक्षित भूमि का आवंटन नहीं हो जाता, तब तक ग्राम पंचायत को उक्त भूमि के समस्त विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित रूप से अपीलाण्ट के पक्ष में किया गया आवंटन/हस्तान्तरण न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को 0.18 हैक्टेयर भूमि ही आवंटन हुई है तथा संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलाण्ट संस्था द्वारा उक्त खसरा नम्बर 97 के सम्पूर्ण रकबे की भूमि पर कब्जा किया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 69/2016 में नायब तहसीलदार रानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 को यथावत रखा जाता है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि ग्राम पंचायत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा आबादी हेतु आरक्षित भूमि को अपीलाण्ट संस्था को हस्तान्तरित की गई है, उक्त हस्तान्तरण विधिक दृष्टिकोण से शून्य प्रभावी है, क्योंकि जब तक भूमि ग्राम पंचायत को आवंटन नहीं हो जाती, तब तक ग्राम पंचायत को उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। अतः तहसीलदार रानी को निर्देश दिये जाते है कि वे ग्राम भादरलाउ की जनसंख्या के अनुपात में आबादी भूमि की जांच करें तथा यदि जनसंख्या के अनुपात में आबादी भूमि पर्याप्त पाई जावे, तो उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/08/1089 दिनांक 12.06.2008, जिसके द्वारा भूमि ग्राम पंचायत की आबादी हेतु आरक्षित की गई, को निरस्त कराने की कार्यवाही करें एवं साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट संस्था को हस्तान्तरित करने बाबत प्रस्ताव को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत करें। तद्नुसार अपीलाण्ट संस्था को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी वास्ते पालनार्थ तहसीलदार रानी को भिजवाई जावे तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/1/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली